



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या 16/47/2021- प्रशासन-II

दिनांक 30.12.2021

सेवा में ,

निदेशक / प्रभारी निदेशक
परिषद के सभी स्थाई संस्थान/केन्द्र

विषय :- केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के संबंध में ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ,(सीएचएस प्रभाग ,(निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011, से प्राप्त पत्र संख्या सं- ए .35014/05/2021 सीएचएस-v दिनांक 08.12.2021 को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है । जो अधिकारी अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं तथा मूल संगठन में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं, वे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएसमें प्रतिनियुक्ति पर (स्वर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।निर्धारित-नियुक्ति के लिए पद एवं उप-अनुलग्नक) प्रारूपV) में भरे हुए आवेदन पत्र रोजगार समाचार में सांकेतिक विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दिनों 45 -सीएचएस) के अंदर अवर सचिवV), कमरा नंबर 214, डीविग-, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 को अग्रेषित किए जा सकते हैं।

भवदीय,
राजेश
(जगदीश राजेश) 31/12

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

अनुलग्नक : यथोक्त

प्रतिलिपि:-

- 1 महानिदेशक /वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव
- 2 परिषद के सभी प्रभाग प्रमुख
- 3 उपमहानिदेशक (प्रशा.)
- 4 सहा. महानिदेशक (प्रशा.)/ सहा. महानिदेशक (वित्त.)
- 5 डॉ.एल.के शर्मा ,वैज्ञानिक -ई: वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए ईमेल आईडी (sharma.lk@icmr.gov.in) पर मेल कर दिया गया है।

D.G. ICMR OFFICE

Diary No: 613912

Date: 28/12/21

सं. ए-35014/05/2021-सीएचएस-V

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 8 दिसंबर, 2021

सेवा में,

- भारत सरकार के सभी मंत्रालय (रेल एवं रक्षा मंत्रालय सहित)
- सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन
- केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन सभी सांविधिक निकाय/ स्वायत्त निकाय/ अर्ध-सरकारी संगठन/ विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाएं

विषय:- केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ, शिक्षण विशेषज्ञ, गैर-शिक्षण विशेषज्ञ और जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार (रेल एवं रक्षा मंत्रालयों सहित) या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्र सरकार/ राज्य सरकारों के अधीन सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के सदृश पदधारी अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाएंगी।

2. नियमित आधार पर सदृश पदधारी जो अधिकारी अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हैं तथा मूल संगठन में अपनी परीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं, वे केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पद एवं उप-संवर्ग के नाम का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी अधिकारी, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत, भी आवेदन कर सकते हैं। सीएचएस के संबंधित उप-संवर्गों में पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, पदों के लिए अपेक्षित अर्हता एवं अनुभव के विवरण निम्नानुसार संबंधित अनुलग्नक में दिए गए हैं:

210-437 Admn-II
30/12/21

D. Singh
Ravi - 11
Ravi
2021

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
Indian Council of Medical Research
RAMALINGASWAMY BHAWAN
100001
आवृत्ति संख्या / Diary No.
असारी नगर, राव जे. 110029
Ansari Nagar, New Delhi 110029

क्र. सं.	सीएचएस के उप-संवर्ग	अनुलग्नक
1	जीडीएमओ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - I
2.	अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - II
3.	गैर-अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग	अनुलग्नक - III
4.	जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग	अनुलग्नक - IV

पद, पदों के वेतन मैट्रिक्स, अर्हता आदि का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट ["https://www.mohfw.gov.in"](https://www.mohfw.gov.in) पर भी देख सकते हैं।

3. सीएचएस में प्रतिनियुक्ति हेतु चुने गए अधिकारी या तो प्रतिनियुक्ति वाले पद के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में वेतन लेने अथवा अपने मूल संवर्ग का वेतन तथा उस पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता और निजी वेतन, यदि कोई हो, लेने का चयन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि समय-समय पर यथा संशोधित सीएचएस नियमावली, 2014 द्वारा शासित होगी। तथापि, यदि नियमित भर्ती की जाती है या किसी कारणवश नीति परिवर्तित की जाती है तो प्रतिनियुक्ति की अवधि एकपक्षीय रूप से समाप्त की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानक प्रतिनियुक्ति शर्तों द्वारा शासित की जाएंगी।

5. (निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-V) में भरे हुए आवेदन पत्र रोजगार समाचार में सांकेतिक विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर अवर सचिव (सीएचएस-V), कमरा नं. 214, डी-विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को अग्रेषित किए जा सकते हैं। सभी आवेदन पत्र इस मंत्रालय में उचित माध्यम द्वारा पहुंच जाने चाहिए। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

6. इस मंत्रालय को निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय में आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी भेजें:-

- इस आशय का प्रमाण पत्र कि संबंधित अधिकारी की सीएचएस में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र या मूल विभाग/ संगठन को "कोई आपत्ति नहीं" है।
- आवेदक की पिछले पांच वर्षों की एसीआर/ एपीएआर (ACR/APAR) की सत्यापित प्रतियां (एपीआर का प्रत्येक पृष्ठ विधिवत सत्यापित होना चाहिए)। यदि एपीएआर प्रस्तुत नहीं की गई/

उपलब्ध नहीं हैं तो आवश्यक एपीएआर के बदले में उपयुक्त कारणों के साथ एक प्रमाण पत्र और पिछले वर्ष की एपीएआर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- iii. निर्धारित प्रारूप में सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र, सतर्कता निपटान और पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई बड़ी/ छोटी शास्ति का प्रमाणपत्र।
- iv. एमबीबीएस और स्नाकोत्तर डिग्री का प्रमाणपत्र तथा चिकित्सा परिषद में पंजीकरण प्रमाण पत्र।

अधूरे आवेदन पत्र या उक्त उल्लिखित प्रलेखों के बिना प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

7. ऐसे पात्र अधिकारी, जिनकी पत्नी/ पति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत हैं और ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किए गए हैं या कार्य कर रहे हैं जहां सीएचएस पद विद्यमान हैं, प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(राजीव जायसवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 2306 1986

प्रतिलिपि:

1. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी.), एनआईसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुरोध है कि रिक्ति परिपत्र को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर सीएचएस के अंतर्गत अपलोड करें)।
2. संलग्न सूची के अनुसार सभी मंत्रालय।

जनरल इयूटी मेडिकल ऑफिसर (जीडीएमओ)

पदों का नाम और वेतन मैट्रिक्स

- i. मेडिकल ऑफिसर (एमओ) वेतन मैट्रिक्स 56100-177500/- रुपए का लेवल 10
- ii. सीनियर मेडिकल ऑफिसर (एसएमओ) वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11
- iii. चीफ मेडिकल ऑफिसर (सीएमओ) वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12
- iv. चीफ मेडिकल ऑफिसर (एनएफएसजी) वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13

अर्हता एवं अनुभव

जीडीएमओ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 की अनुसूची-V के अनुसार है (परिशिष्ट-क)

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.स.	पदों का नाम	भाग लेने वाली इकाइयों का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, प्रयागराज/इलाहाबाद	02
2.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, अहमदाबाद	02
3.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, देहरादून	01
4.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, सिल्चर	01
5.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, जबलपुर	02
6.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, सिलीगुड़ी	01
7.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, कानपुर	02
8.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, मेरठ	02

9.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	01
10.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	गवर्नमेंट ऑपियम एवं एल्कलॉएंड वर्क्स, नीमच (मध्य प्रदेश)	01
11.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मुंबई,	01
12.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	01
13.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	01
14.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरएलटीआरआई, गौरीपुर (पश्चिम बंगाल)	01
15.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरएलटीआरआई, रायपुर (छत्तीसगढ़)	01
16.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	आरओएचएफडब्ल्यू, अहमदाबाद	01
17.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	एपीएचओ, अहमदाबाद	01
18.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	सीजीएचएस, दिल्ली	06
19.	एमओ/एसएमओ/सीएमओ/सीएमओ (एनएफएसजी)	राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, दिल्ली	01
कुल			29

अनुसूचक -II

शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग:-

पद का नाम और वेतनमान:

- i. असिस्टेंट प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11
- ii. एसोसिएट प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12
- iii. प्रोफेसर - वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- रुपए का लेवल 13

अर्हता एवं अनुभव

शिक्षण उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)। भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा निम्नवत् है:

रिक्ति का विवरण, जिन्हें भरा जाना है

क्र.सं	पद का नाम	इकाई और कार्यस्थल का नाम	स्पेशियलिटी	रिक्तियों की संख्या
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई	पीएमआर	02
2.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	मनश्चिकित्सा	02
3.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	एनेस्थिसिया	02
4.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	तंत्रिका-विज्ञान	02
5.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	रेडियो डायग्नोसिस	02
6.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	पैथोलॉजी	01
7.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	न्यूरो सर्जरी	02
8.	असिस्टेंट प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर	सीआईओ, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	आर्थोपैडिक	01
कुल				14

.....

गैर- शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग

पद का नाम:

- | | | | | | |
|------|-----------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|
| i. | स्पेशलिस्ट ग्रेड III। | - | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700 | - | रुपए का लेवल 11 |
| ii. | स्पेशलिस्ट ग्रेड II | - | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- | - | रुपए का लेवल 12 |
| iii. | स्पेशलिस्ट ग्रेड I | - | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900- | - | रुपए का लेवल 13 |

अर्हता एवं अनुभव:

गैर- शिक्षण उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)। भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा निम्नवत् है।

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

i.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	सर्जरी	02
ii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	मेडिसिन	02
iii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	एनेस्थिसिया	02
iv.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	स्त्री रोग विज्ञान	02
v.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	चर्म रोग विज्ञान	01
vi.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	नेत्र रोग विज्ञान	02
vii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, गौरीपुर	अस्थि रोग- सर्जरी	01
viii.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, गौरीपुर	पैथोलॉजी	01
ix.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, रायपुर	पैथोलॉजी	01
x.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/ग्रेड II/ग्रेड I	आरएलटीआरआई, अस्का	पैथोलॉजी	01
कुल				15

....

जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग

पद का नाम:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| i. स्पेशलिस्ट ग्रेड III | - | वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए का लेवल 11 |
| ii. स्पेशलिस्ट ग्रेड II | - | वेतन मैट्रिक्स 78800-209200/- रुपए का लेवल 12 |
| iii. स्पेशलिस्ट ग्रेड I | - | वेतन मैट्रिक्स 123100-215900/- रुपए का लेवल 13 |

अर्हता एवं अनुभव:

जन स्वास्थ्य उप-संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अर्हता और अनुभव केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019. की अनुसूची V और VI के अनुसार है (परिशिष्ट-क)। भरे जाने वाले प्रस्तावित पदों का ब्यौरा निम्नवत् है।

पदों का विवरण, जिन्हें भरे जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	पद का नाम	स्पेशियलिटी एवं कार्य स्थल	स्पेशियलिटी	पदों की संख्या
1.	स्पेशलिस्ट ग्रेड III/II/I	जन स्वास्थ्य, एआईआईएच एंड पीएच, कोलकाता	जन स्वास्थ्य	02
			कुल	02

....

जीवन- वृत्त/ पाठ्य-वृत्त प्रारूप

1. नाम और पता (ब्लॉक अक्षरों में):						
2. जन्म तिथि (ईसवी में):						
3. i) सेवा में प्रवेश की तिथि:						
ii) केंद्रीय / राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख						
4. शैक्षिक अर्हता						
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है, तो उसके प्राधिकार को बताएं)						
विज्ञापन / रिक्ति परिपत्र में उल्लेखानुसार अपेक्षित - अर्हता/ अनुभव		अधिकारी की अर्हताएं/ अनुभव				
अनिवार्य		अनिवार्य				
क) अर्हता		क) अर्हता				
ख) अनुभव		ख) अनुभव				
वांछनीय		वांछनीय				
क) अर्हता		क) अर्हता				
ख) अनुभव		ख) अनुभव				
5.1 टिप्पणी: इस कॉलम को प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग / कार्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी करने और रोजगार-समाचार में विज्ञापन जारी करने के समय आरआर में उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हता को इंगित करने के लिए प्रवर्धित किए जाने की आवश्यकता है।						
5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हता के मामले में उम्मीदवार द्वारा वैकल्पिक / मुख्य विषयों और सहायक विषयों को दर्शाया जा सकता है।						
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा की गई प्रविष्टियों के आलोक में आप पद की अनिवार्य अर्हता और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं।						
6.1 टिप्पणी: आदाता विभाग को आवेदित पद के संदर्भ में उम्मीदवार के पास संबंधित अनिवार्य अर्हता / कार्य अनुभव (जैसा कि बायो-डेटा में दर्शाया गया है) की पुष्टि करते हुए अपनी विशिष्ट टिप्पणियां/ राय प्रस्तुत करनी हैं।						
7. कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो: अपने हस्ताक्षर द्वारा अनुप्रमाणित पृथक शीट संलग्न करें						
कार्यालय / संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	आधार	कब से	कब तक	* नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड पे / वेतनमान	पद के लिए अपेक्षित अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कर्तव्यों की

					प्रकृति (विस्तृत रूप से)

* महत्वपूर्ण: एसीपी / एमएसीपी के तहत दिए गए वेतन बैंड और ग्रेड पे अधिकारी के व्यक्तिगत हैं और इसलिए, इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान पे बैंड और ग्रेड पे के साथ एसीपी/एमएसीपी का विवरण, जहां अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार के लाभ लिए गए हैं, निम्न रूप से दर्शाया जा सकता है:

कार्यालय / संस्था	एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत आहतिरत वेतन, कब से		कब तक
	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन		
8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी या स्थायी			
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर धारित है, तो कृपया ब्यौरा दें:			
क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि	ग) मूल कार्यालय / संगठन का नाम, जिससे आवेदक संबंधित है	घ) मूल संगठन में सबस्टेंटिव क्षमता में धारित पद का नाम और वेतन
9.1 टिप्पणी: पहले से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में, इस प्रकार के अधिकारी के आवेदन पत्र को संवर्ग मंजूरी, सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ मूल संवर्ग / विभाग द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।			
9.2 टिप्पणी: ऐसे सभी मामलों में कॉलम 9 (ग) एवं (घ) के तहत सूचना दी जानी चाहिए, जहां कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन से बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है, लेकिन अपने मूल संवर्ग / संगठन में अभी भी लियन रखे हुए है।			
10. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में प्रतिनियुक्ति पद धारण किया गया है, तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि और अन्य विवरण।			
11. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि किससे तहत कार्यरत हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम बताएं) क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार			

ग) स्वायत्त संगठन घ) सरकारी उपक्रम ड) विश्वविद्यालय च) अन्य		
12. कृपया बताएं कि क्या आप एक ही विभाग में कार्य कर रहे हैं या फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।		
13. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो वह तिथि दर्शाएं, जिससे संशोधन हुआ था और साथ ही पूर्व-संशोधित वेतनमान को भी इंगित करें।		
14. अब प्रति माह आहरित कुल पारिलब्धियां		
पीबी में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल पारिलब्धियां
15. यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंधित है, जो केंद्र सरकार के वेतनमान का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो निम्नलिखित विवरण दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची संलग्न की जा सकती है।		
वेतनमान के साथ मूल वेतन और वेतन वृद्धि की दर	महंगाई वेतन / अंतरिम राहत / अन्य भत्ते आदि, (विस्तृत ब्यौरे सहित)	कुल पारिलब्धियां
16. क अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जो आवेदित पद के लिए प्रासंगिक हो तथा पद के लिए आपकी उपयुक्तता में सहायता करे। (इसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्रदान कर सकते हैं (i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हताएं (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (iii) रिक्ति पत्र/विज्ञापन में निर्धारित से अधिक कार्य अनुभव (नोट: यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग शीट संलग्न करें)		
16. ख उपलब्धियां: उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निम्न के संबंध में जानकारी दें: i) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजनाएं ii) पुरस्कार / छात्रवृत्ति / आधिकारिक प्रशस्ति पत्र iii) व्यावसायिक निकायों / संस्थानों / समितियों के साथ संबद्धता; तथा iv) स्वयं के नाम पर पंजीकृत या संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेंट: v) आधिकारिक मान्यता को शामिल करते हुए कोई भी अनुसंधान / अभिनव उपाय: vi) कोई अन्य सूचना। (टिप्पणी: यदि स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग शीट संलग्न करें)		

<p>17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) / आमेलन / पुनः रोजगार आधार# पर आवेदन कर रहे हैं। # (केवल केंद्र / राज्य सरकार के अधीन अधिकारी "आमेलन" हेतु पात्र हैं गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक संविदा के लिए पात्र हैं)।</p>	
<p># (एसटीसी / 'आमेलन' / 'पुनः रोजगार' का विकल्प केवल तभी उपलब्ध है, जब रिक्ति परिपत्र विशेष रूप से "एसटीसी" या "आमेलन" या "पुनः रोजगार" द्वारा भर्ती का उल्लेख करता हो)</p>	
<p>18. क्या एससी/ एसटी से संबंधित हैं</p>	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और मुझे भली भांति ज्ञात है कि अनिवार्य अर्हता / कार्य अनुभव के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित जीवन-वृत्त में दी गई जानकारी का भी पद हेतु चयन के समय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी / विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं तथा कोई भी ऐसा तथ्य छुपाया अथवा दबाया नहीं गया है, जो मेरे चयन पर प्रभाव डाले।

दिनांक

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता _____

नियोक्ता / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी / विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य और सही हैं। वह विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखता है। यदि उसका चयन होता है, तो उसे तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है:

- i) श्री / श्रीमती _____ के खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित / विचाराधीन नहीं है।
- ii) उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित है।
- iii) उसका मूल एसीआर/एपीआर डोजियर संलग्न है / भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा यथोचित सत्यापित उसकी पिछले 05 वर्षों की एसीआर की फोटो-प्रतियां संलग्न हैं।
- iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर कोई बड़ी / छोटी अथवा शास्ति अध्यारोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उस पर अध्यारोपित बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)।

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता / संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी मुहर सहित)